MR. CHAIRMAN: So far as your statement is concerned, under the rules it was beyond the context. It contained more than 250 words. There is a power to edit it. It has been edited and has been approved by the hon. Speaker. It has been given to you to read out. I will request you to read out.

श्री जगपाल सिंह : मैं अपना ओरिजनल स्टेटमेन्ट पढ़ूंगा।

MR. CHAIRMAN: I will see that in future such things should not happen. You have made your point. That is there. Kindly read out because what you want to say let it be on record at least

(x) TREATMENT METED OUT TO SHRI JAGPAL SINGH BY POLICE IN PATNA.

श्री जगपाल सिंह : मुझको एक घंटा पहले दिया जाना चाहिए था। इसलिए जो स्टेटमेन्ट मैंने दिया था, उसको पढ़ रहा हूं ।

माननीय सभापति जी, मैं 11 अक्तूबर, 1982 को बिहार प्रदेश एवा लोकदल की रैली को पटना में संबोधित करने गया था। अगले रोज 12 तारीख को सायंकाल के जहाज से जिसमें मेरा आरक्षण था, वापिस आना था। 12 तारीख को करीब 2 बजे मैं गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा से संगठनात्मक मामलों पर बात करने गया था। करीब 3.00 बजे बेली रोड पर 30 एवा संगठनों का 11 लाख हस्ताक्षरों का ज्ञापन राज्यपाल को देने के लिए आया था । थोड़ी देर बाद टीयर गैस व लाठी चार्ज बिहार प्रेस बिल विरोधी प्रदर्शनकारियों पर किया गया । एक लड़का जिसका नाम अवधेश कुमार, जो अपनी जान बचाने के लिए उपाध्यक्ष की कोठी में घुस गया था, उसको पुलिस ने बहुत बुरी तरह मारा।

MR. CHAIRMAN: Mr. Jagpal Singh, may I request you to kindly read the approved draft. I will request you.

SHRI JAGPAL SINGH: I am not going to read out the approved draft.

MR. CHAIRMAN: That will not be according to the rules.

श्री जगपाल सिंह : नियमानुसार मुझको पहले दिया जाना चाहिए था। (व्यवधान) मैं कोई विशेष सूचना नहीं दे रहा हूं । मेरा मामला तो प्रिवलेज मोशन का है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदेपुर): यह 377 का मामला नहीं बनता है लेकिन अध्यक्ष महोदय के अनुरोध करने पर 377 में मामला आया है, लेकिन इस तरह से 15 मिनट पहले देने का क्या औचित्य है?

MR. CHAIRMAN: Mr. Shastri there is no question of hiding things. So far here in the Chair, we have to follow certain procedures under the rules. Now the statement was long enough. It is not permitted by the rules. Therefore, it has been brought down to below 250 words.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): It should have been returned to the Member and he should have been told to reduce it. It has been altered as it exceeded a certain length. It should have been returned to the Member and he should have been told to reduce it to the required length. Why was that not done?

डा. ए. यू. आज़मी (जौनपुर): अगर पहले बता दिया जाता तो स्पीकर से बात कर सकते थे।

MR. CHAIRMAN: I am told that that was done. The hon. Member was requested to condense it. Probably it has been done. What he is complaining about is that he was given it within less than an hour's time. That is a different matter. But the question is that he was requested that he should condense it. It has been condensed. May I suggest that you read it? The hon. Speaker will look into it and I am sure he will liberally look into it.

He will decide as to what is to be done. We have to follow the procedure.

श्री जगपाल सिंह : उसको बचाने के लिए कंचन नाम की एक लड़की उसके ऊपर लेट गई, लेकिन पुलिस वालों ने उस लड़की को भी नहीं बख्शा। यह देख कर मैं उपाध्यक्ष के बरामदे से उसे छुड़ाने की नीयत से उसके पास आया और यह कह कर छुड़वाया कि उपाध्यक्ष की कोठी में घुस कर किसी को मारने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उसी वक्त एक लड़का सुरेश गुप्ता जो बुरी तरह घायल था उसने बताया कि जिलाधिकारी श्री तिवारी और देवेन्द्र प्रसाद यादव, एम. एल. सी. घायल हैं जिनमें श्री विजय कृष्ण, श्री रमाकांत ठाकुर भूतपूर्व विधायक, श्री राधे-श्याम शर्मा, युवा जनता मुजफ्फरपुर को एक स्कूटर में डालकर अस्पताल ले जा रहे थे, को जिलाधिकारी श्री तिवारी ने पकड़ लिया और उनको मार रहे हैं। मैं अकेला आगे बढ़ा तो देखा कि देवेन्द्र प्रसाद यादव, एम. एल. सी. को बुरी तरह पिटाई की जा रही है। मैंने अपना परिचय-पत्र निकाल कर हाथ में ले लिया और जिलाधिकारी से कहा कि आप जिसको मार रहे हैं वह एक एम. एल. सी. है। डी. एम. ने मुझसे कहा कि आप होते कौन हैं इनको बचाने वाले ? तो मैंने कहा कि मैं सदस्य लोक सभा हूं। इतना कहने पर जिलाधिकारी ने मेरा गिरे-बान पकड़ लिया और कहा कि आप जैसे मैंने बहुत से संसद सदस्य देखे हैं। मुझको पुलिस के सिपाहियों की तरफ धक्का देकर कहा कि इस साले को भी ठीक कर दो।

इतना कहने पर पुलिस ने मुझे लाठियों से मारना शुरू किया और मारते-मारते एक बस में बन्द कर दिया। उसी बस के द्वारा कोतवाली में लाकर बन्द कर दिया गया। गर्दनीबाग स्थित नजदीकी अस्पताल के डाक्टर ने मुझे देखकर पी. एम. सी. एच. को एक्स-रे के लिए भेज दिया। जहां पर पांच एक्स-रे हुए रीढ़ की हड्डी पर सख्त चोटें आईं। दिनांक 12-10-82 से 19-10-82 तक अस्पताल में रखा गया। 19-10-82 को सी. जी. एम. के सामने पेश करके फुलवारी शरीफ जेल भेज दिया गया।

30-10-82 को जेल अधीक्षक के द्वारा सी. जी. एम. को 2-11-82 से लोक सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आवश्यक व्यवस्था करके आदेश देने की प्रार्थना की। लेकिन व्यवस्था करने से इन्कार कर दिया गया और यह आदेश पारित किया गया कि मैं व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर ही बाहर जा सकता हूं। 1-11-1982 को मुझे व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर फुलवारी शरीफ जेल से रिहा किया गया।

मुझे पटना के जिलाधिकारी श्री तिवारी के आदेश पर धारा 147/149/353/332/337-323 आई. पी. सी. और 7 सी. आर. एल. के अन्तर्गत गिरफ्तार कर मेरे ऊपर तथ्यहीन व झूठा केस बनाया गया है। संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोका गया, गिरेबान पकड़ करके गाली दिया गया और सिपाहियों द्वारा पिटवाया गया, जो विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है और न ही 200 मीटर/गज की सीमा, जो पुलिस ने अशान्त इलाका घोषित किया था, उसमें गया हूं क्योंकि वह घटना उपाध्यक्ष बिहार विधान सभा की कोठी के दक्षिणी गेट के पास ही ये सारी घटनाएं हुई हैं।

कृपया उक्त विशेषाधिकार हनन के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का कष्ट करें।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : यह विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला बनता है।

MR. CHAIRMAN: The hon. Speaker is considering the matter.

———